सरदार स्कूल की स्थापना 1828 में हुई थी। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्द के आग्रह पर खेतड़ी महाराज सरदार सिंह ने की थी। इनके नाम पर ही विद्यालय का नाम रखा गया था। खेतड़ी महाराज ने ही स्वामी विवेकानन्द की शिकागो यात्रा को स्पॉन्सर किया था। आज कोटपूतली नगर पालिका ने इस स्कूल का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया है।

हाई कोर्ट ने सरकार के वकील को कोटपूतली प्रकरण में आदेश दिये

अदालत ने डबल ए.जी. को कहा कि तोड़-फोड़ की कार्यवाही की जमीनी स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट 13 सितम्बर तक पेश करें

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान हाई कोर्ट में कोटपूतली में नगर परिषद द्वारा सड़क चौड़ी करने की आड़ में लोगों को बिना नोटिस दिये उनके घर व दुकान तोड़ने के खिलाफ 11 याचिकाओं की सुनवाई हुई। न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की तरफ से डबल ए.जी. को अदालत में बुलाया और कहा कि वह इस मामले में जमीनी स्थिति पर तथ्यात्मक रिपोर्ट 13 सितम्बर से पहले प्रस्तुत करे। इसके साथ अदालत ने कहा कि नगर परिषद इन 11 याचिकाकर्ताओं के भवनों या इमारतों पर कोई कार्यवाही न करे।

- **तथ्यात्मक रिपोर्ट में पूर्ण जानकारी आ जायेगी कि, कितने मकान तोड़े गये हैं, कितनों को नोटिस दिया गया, कितनों को नहीं दिया गया और मुआवज़ा देने की क्या व्यवस्था है।**

तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश से यह सामने आ जायेगा कि कोटपूतली नगर परिषद ने वास्तव में इमारतें तोड़ने से पूर्व कितने लोगों को नोटिस भेजा था और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लोगों की जमीन को अवाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी या नहीं।

तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि नगर परिषद ने सड़क चौड़ी करने से पूर्व संबंधित लोगों से आपत्तियाँ भी आमंत्रित की थीं या नहीं।

उल्लेखनीय है कि अदालत में कोटपूतली के निवासी प्रेम कुमार गुप्ता ने कल ही कोटपूतली नगर परिषद की कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता को भी नगर परिषद ने कोई नोटिस नहीं दिया था, परन्तु प्रशासन ने कोटपूतली क्षेत्र में भय का ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि याचिकाकर्ता ने स्वयं ही अपने भवन का कुछ हिस्सा तोड़ लिया था। अदालत में प्रस्तुत याचिका में उसने बताया कि उसे खेतड़ी महाराज द्वारा पट्टा दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि, स्थानीय नगर परिषद उसके मकान को तोड़ना चाहती है और पट्टा भी रद्द करना चाहती है। अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में नगर परिषद को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के भूमि व मकान पर कोई कार्यवाही न करे।

बहरहाल कोटपूतली नगर परिषद ने सरदार विद्यालय रोड पर तीन सरकारी इमारतों को हटाया है और सरदार स्कूल के मुख्य दरवाजे को पूरी तरह तोड़ दिया है।

नागौर और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ को हाई कोर्ट से राहत

हाई कोर्ट ने इन दोनों इकाइयों की संबद्धता रद्द करने के आर.सी.ए. के आदेश पर रोक लगाई

- **राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने गत चार जुलाई को दोनों जिला क्रिकेट संघों व अलवर जिला क्रिकेट संघ की संबद्धता रद्द कर दी थी जिनमें से नागौर व श्रीगंगानगर के जिला क्रिकेट संघ ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।**
- **हाई कोर्ट ने आर.सी.ए. के आदेश पर स्टे देने के साथ ही बी.सी.सी.आई. सहभागिता रजिस्ट्रार से भी जवाब तलब किया है।**

जयपुर, 25 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ को राहत देते हुए आरसीए के गत चार जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें इन दोनों क्रिकेट संघों की संबद्धता को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही अदालत ने बीसीसीआई और सहकारिता रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश नागौर और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघों की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि, आरसीए ने गत 4 जुलाई को साधारण सभा की आपातकालीन बैठक बुलाकर नागौर, श्रीगंगानगर व अलवर जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को रद्द कर दिया था। आरसीए ने इन तीनों एसोसिएशनों की संबद्धता रद्द करने का मुख्य कारण, पूर्व में बीसीसीआई द्वारा ललित मोदी व अन्य के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करना बताया।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पहले ही बीसीसीआई के दिशा-निर्देशों का पालन कर चुके हैं और उनका ललित मोदी व उनके समर्थकों से कोई भी संबंध नहीं है।

इसके अलावा 27 अगस्त 2021 के आदेश में लोकपाल ने भी माना था कि प्रार्थी जिला क्रिकेट संघों ने बीसीसीआई की मांग को पूरा कर दिया है और ललित मोदी, उनके पुत्र रुचिर मोदी और अन्य सहयोगियों से कोई संबंध नहीं रखे हैं।

याचिका में बताया गया कि लोकपाल ने पांच जुलाई के आदेश में कहा था कि इन तीनों जिला क्रिकेट संघों को आर.सी.ए. का भाग बनाया जाये, परंतु आर.सी.ए. ने लोकपाल के किसी भी आदेश को नहीं माना और तीनों क्रिकेट संघों को रद्द करने वाले आदेश को क्रियान्वित रखा।

दूध पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे मवेशी तनावग्रस्त हो गए और दूध के उत्पादन में 11 प्रतिशत की कमी आई। अनियमित वर्षा और अतिवादी मौसम ने पहले से ही चल रही चारे की कमी की स्थिति को और खराब कर दिया।

भारत के अधिकांश डेयरी फार्मर लघु उत्पादक हैं और गर्मी कम करने के उपायों जैसे कि गांव के तालाबों को साझा करने आदि पर उनकी निर्भरता जल की कमी और प्रदूषण के कारण तर्कसंगत नहीं रह गई है।

अब आगे क्या: नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस संकट के समाधान की कोशिश की, जिसमें भैंस की नई ब्रीड डवलप करना शामिल है। देश की जरूरत का आधा दूध भैंसों से प्राप्त होता है जो क्रॉसब्रीड मवेशियों की तुलना में गर्मी को बर्दाश्त करने में अधिक समर्थ साबित हुई हैं। वैज्ञानिकों ने प्रोटीन युक्त नई झाड़ियों का उपयोग भी सुझाया है। कुछ वैज्ञानिक गोवंश के आगे बांसुरी तक बजा रहे हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा करने से गोवंश को आराम मिलता है।

इस मुद्दे पर वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व करने वाले डॉ. आशुतोष ने कहा कि "हमें जानवर को तनावमुक्त करने के तरीके खोजने होंगे, हम तभी उन्हें अपनी मर्जी अनुसार ढाल सकते हैं।"

अब सरिस्का में खानें चल सकेंगी

- **राज्य सरकार ने सरिस्का बाघ परियोजना से 10 किमी की दूरी में खानों के संचालन के लिए नैशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ की अनुमति की बाध्यता खत्म की।**
- **इसका सीधा लाभ अलवर की 157 खानों को होगा।**

अलवर, 25 अगस्त (निसं)। राज्य सरकार ने सरिस्का बाघ परियोजना के 1 से 10 किमी की दूरी में चल रही खानों के संचालन के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव मंडल (एनबीडब्ल्यूएल) की अनुमति की बाध्यता खत्म कर दी है। इसका सीधा लाभ अलवर की 157 खानों एवं खदानों को होगा।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी सोनाली चौधरी ने बताया कि, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की पालना में सरिस्का बाघ परियोजना से 10 किमी की दूरी तक स्थित खानों को एनबीडब्ल्यूएल की मंजूरी के बिना संचालन के करार का नवीकरण नहीं किया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उन खानों को संचालन के करार के नवीकरण की अनुमति होगी, लेकिन सरिस्का बाघ परियोजना या संरक्षित वन क्षेत्र से एक से 10 किमी दूर स्थित खानों में उत्पादन की वृद्धि नहीं की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी की वजह से सरिस्का अभ्यारण्य के आसपास की खानें धीरे-धीरे बन्द हो रही थीं, जिसका खामियाजा मिनरल उद्यमियों को भुगतना पड़ा।

उद्यमियों को रॉ- मटीरिअल नहीं मिलने से कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गईं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद खानों को नई एन.ओ.सी. भी नहीं मिली।

इस वर्ष मार्च माह के बाद ही 40 से अधिक खाने एन.ओ.सी. नहीं मिलने से बंद हो गईं। मिनरल उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान पिछले चार माह के बाद ही हुआ है। प्रदूषण मंडल ने सुप्रीम कोर्ट की पालना में इन्हें एनओसी नहीं दी।

इन खानों की वजह से ही अलवर वॉल पुट्टी का हब बन गया था। यहां कई बड़े व्यापारिक समूहों ने भी यहाँ निवेश कर रखा है। कई बड़े समूह जैसे कि मिराज डाइकेम और सोनालेक सहित वॉल पुट्टी बनाने वाली 50 से अधिक कंपनियां अलवर में खुली।

अलवर का खनिज इन्हीं कंपनियों में खपने लगा। अभी जेके लक्ष्मी वॉल पुट्टी समूह भी अलवर में कंपनी लगाने की योजना बना रहा है।

स्वदेशी विमान वाहक पोत "विक्रांत" का लोकार्पण

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वार्ता)। देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत को दो सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में लोकार्पण के बाद विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जायेगा जिससे हिन्द महासागर में नौसेना की ताकत कई गुणा बढ़ जायेगी। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस एन घोरमड़े ने गुरूवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मोदी दो सितम्बर को कोच्चि में इस विमानवाहक पोत को देश को समर्पित करेंगे जिससे यह विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल हो जायेगा।

इसके साथ ही नौसेना के पास दो विमानवाहक पोत हो जायेंगे। नौसेना के पास आई.एन.एस. विक्रमादित्य विमानवाहक पोत पहले से ही है।

गेहूं का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया था। उन्होंने कहा कि अप्रैल- जुलाई 2021 की तुलना में, अप्रैल-जुलाई 2022 में, विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग 200 प्रतिशत बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि भारतीय गेहूं की माँग इसलिये बढ़ी है, क्योंकि पिछले वर्ष तक रुस और यूक्रेन गेहूं के बड़े निर्यातक थे तथा गेहूं के वैश्विक व्यापार के एक-चौथाई भाग की पूर्ति कर देते थे लेकिन अब वहां युद्ध छिड़ जाने के कारण, गेहूं आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इससे पहले भारत में गेहूं के आटे के निर्यात पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई है लेकिन सरकार देश के 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना था।

सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

पणजी, 25 अगस्त। भाजपा की नेता एवं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की ऑटोप्सी (पोस्टमॉर्टम) रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोनाली फोगाट की ऑटोप्सी रिपोर्ट में 'शरीर पर किसी कुंद वस्तु से जबरन कई बार वार करने' का उल्लेख है। एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। गोवा पुलिस ने फोगाट की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने

- **सोनाली फोगाट के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाये गये हैं।**

के तुरंत बाद उनके दो सहयोगियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को हत्या का आरोप दर्ज किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, 42 वर्षीय फोगाट की मौत से जुड़े मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) को जोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि, मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को आरोपी बनाया गया है।

'अडाणी की ओर से टेकओवर की घोषणा पूरी तरह से एकतरफा है'

एन.डी.टी.वी. के प्रमोटर्स ने कहा कि, अडाणी ने शेयर खरीदने से पहले सेबी से परमीशन नहीं ली

- **गौरतलब है कि, शेयर बाजार नियामक सेबी ने एन. डी. टी.वी. के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के शेयरों की खरीद एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है।**

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वार्ता)। समाचार प्रसारक एन.डी.टी.वी. ने गुरुवार को कहा कि उसके प्रमोटर प्रणय राय और राधिका राय पर शेयरों की खरीद या बिक्री तथा प्रतिभूति बाजार से संबंद्धता पर प्रतिबंध लगाया गया है इसलिए अडानी समूह को लेन-देन को पूरा करने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से मंजूरी लेनी होगी।

एन.डी.टी.वी. की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 27 नवंबर- 2020 के आदेश के तहत उसके प्रमोटरों शेयरों की खरीद या बिक्री तथा प्रतिभूति बाजार से संबंद्धता पर दो साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और यह अवधि आगामी 26 नवम्बर-2022 को समाप्त हो रही है। बयान में दावा किया गया है कि अडानी समूह को लेन-देन को पूरा करने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी लेनी होगी। उद्यम हस्ती गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उसकी मीडिया शाखा ए.एम.जी. मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड परोक्ष रूप से एन.डी.टी.वी. में 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी और 26 फीसदी शेयरों के लिए खुला ऑफर भी पेश करेगी।

उसी दिन समूह ने स्टॉक एक्सचेंजों बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को भी सूचित किया कि ए.एम.एन.एल. ने वी.सी.पी.एल. में 100 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। एन.डी.टी.वी. ने कहा था कि वी.सी.पी.एल. द्वारा अधिकारों का प्रयोग बिना किसी बातचीत या एन.डी.टी.वी. के संस्थापकों की सहमति के बिना किया गया।

बाढ़ में फंसे 28 लोगों को बचाया

कोटा, 25 अगस्त (निसं)। जिले के इटावा उपखण्ड के गांव कीरपुरा में नैशनल डिज़ैस्टर रैस्पाँस फोर्स (एन.डी.आर.एफ.) किशनगढ़ की टीम ने पानी में फंसे हुए 28 जनों को रैस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तथा अपनी जान पर खेलकर तेज बहाव में बह कर जा रहे 35 वर्षीय युवक को

- **नैशनल डिज़ैस्टर रैस्पॉन्स फोर्स के जवानों ने कोटा के कीरपुरा गांव में बाढ़ में फंसे 28 लोगों को बचाया।**

भी बाहर निकाला।

दल के राजस्थान प्रभारी सहा. कमांडेंट योगेश कुमार मीना ने बताया कि जिला प्रशासन से सूचना मिली कि इटावा के गांव कीरपुरा में चम्बल का पानी बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति बन गयी है तथा गांव में 28 जन फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि टीम कमांडर विनय भाटी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम ने तुरंत कीरपुरा में पानी में फंसे लोगों को बचाने का अभियान शुरु किया तथा 28 लोगों का सफल रैस्क्यू किया। सहायक कमांडेंट ने बताया कि बचाव कार्य के दौरान टीम कमांडर विनय भाटी को बहते हुए पानी से बचाओ-बचाओ की आवाज सुनाई दी, देखा तो पाया गया कि कोई व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह रहा है। उन्होंने बताया कि रैस्क्यू टीम ने तत्काल कार्यवाही की और टीम सदस्यों ने छलांग लगाकर सुरक्षा घेरा प्रदान किया जिससे व्यक्ति तेज बहाव में बहकर नहीं जा सके। कीरपुरा निवासी दौलत राम पुत्र मूलचंद उम्र 35 वर्ष के परिजनों ने एनडीआरएफ दल के सदस्यों एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट के प्रति आक्रामक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुखद आश्चर्य के रूप में आई है, वह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बड़े अधिकार के साथ ऐसे मामलों के बीच में आने, जो विशिष्ट रूप से विधायिका के परमाधिकार एवं कर्तव्य के अन्तर्गत आते हैं, को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी वही रुख अपनाया, जो पी.टी.आर. ने अपनाया था।

प्रसंगवश बता दें कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने डी.एम.के. के बयानों पर आपत्ति दर्शायी थी, तो उस समय उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, लेकिन न्यायालय का संकेत किस व्यक्ति की ओर था, यह हर व्यक्ति के समक्ष स्पष्ट था। अब, नायडू ने भी न्यायालयों के इस अधिकार पर सवाल खड़े किये हैं कि वह किसी सरकार को फ्रीबीज़ के मामले में निर्देश दे। नायडू ने कहा कि इस मुद्दे का निर्णय तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को करना चाहिये, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका को नहीं। उल्लेखनीय है कि इन जटिल मुद्दों पर अपनी अलग सोच को दर्शाते समय उनकी भाषा और लहज़ा पूरी तरह संयत था। अरुण जेटली की पुस्तक "अ न्यू इंडिया" के लोकार्पण समारोह में बोलते हुये, पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई व्यक्ति कानून की व्याख्या एवं प्रतिपादन के लिये अदालतों में जा सकता है लेकिन क्या और कौनसी नीति प्रतिपादित करनी है यह क्षेत्राधिकार तो संसद एवं राजनैतिक दलों का है।

नायडू ने कहा : "कानून की व्याख्या (के लिये) कोई व्यक्ति अदालत में जा सकता है लेकिन कैसे कानून बनाये जाने की जरुरत है तथा कैसी नीति प्रतिपादित करनी होगी- यह तो संसद एवं राजनैतिक दलों के क्षेत्राधिकार में है।" उन्होंने जोर देते हुये कहा कि यह काम सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका का नहीं है क्योंकि इन मुद्दों पर तो सत्ता में बैठे लोगों को निर्णय लेना चाहिये, क्योंकि जनता उन्हें (इसी काम के लिये) चुनती है। बिल्कुल यही बात उस समय पी.टी.आर. ने कही थी, जब उन्होंने यह सवाल किया था कि सर्वोच्च न्यायालय या केन्द्र सरकार हमसे यह कहने वाले कौन होते हैं कि हम अपना काम कैसे करें, जबकि संविधान यह काम निर्वाचित सरकार को सौंपता है कि वह सार्वजनिक धन को खर्च करने के रास्तों एवं साधनों के बारे में निर्णय ले। पी.टी.आर. ने कहा था, "हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यह बात जनता को हमें बतानी चाहिये कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं।"

दरअसल, डी.एम.के. स्वयं भी फ्रीबीज से सम्बंधित याचिका में शामिल हो गई तथा उसने जानना चाहा कि क्या धनी लोगों के ऋणों को माफ कर देना (राइट आफ) भी फ्रीबीज़ है, यह वह मुद्दा है जिसे लेकर हरेक विपक्षी दल प्रहार कर रहा है तथा प्रधानमंत्री मोदी तथा केन्द्र सरकार से सवाल कर रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती किये जाने पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किये थे तथा भाजपा के इस कथन को निरर्थक सिद्ध कर दिया था कि विपक्षी दल "रेवड़ियाँ" बाँट रहे हैं तथा राज्यों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। पी.टी.आर. ने तथ्यों एवं आँकड़ों के आधार पर, इसकी भी काट की थी तथा कहा था कि तथाकथित सभी प्रकार की फ्रीबीज देने के बाद भी, तमिलनाडु की ग्रोथ ज्यादा है, वहाँ महंगाई कम है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तथा राष्ट्रीय राजकोष में उसका योगदान बहुत बड़ा है। फ्रीबीज तथा चुनावी वादों को लेकर एक उत्साही बहस पूरी गंभीरता के साथ शुरु हो चुकी है। देखना यह है कि क्या इस सम्बंध में कोई कानून या राजनैतिक सर्वसम्मति बनेगी। केन्द्र से कहा गया था कि क्या वह इस मुद्दे पर विचार करने के लिये एक सर्वदलीय मीटिंग बुला सकता है।

तीन आतंकी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूत्रों ने बताया कि जवानों ने घुसपैठियों को ललकारा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अब तक तीन घुसपैठिए मारे गए। इलाके से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों में सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की कोशिशों में तेजी देखी गई है। सेना ने पिछले चार दिनों में जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के कम से कम तीन प्रयासों को विफल किया है।

केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करके उनके पास से हथियार और गोला-बारुद बरामद किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दोनों को लाल किला मोड पेठकोट के समीप एक संयुक्त जांच चौकी पर जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया।

'अडानी ग्रुप की प्रगति उन ऋणों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समाज या शासन सम्बंधी जोखिम है, में कदम रखते वक्त गौतम अडानी और उनके परिवार की ओर से सीमित मात्रा में पूंजी लगाई गई।

प्रो. गौरव वल्लभ ने सीधे तीन प्रश्न दागे:

-सरकार में से किसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकों को महा जोखिम में डालते हुए एस.बी.आई. जैसे बैंकों पर इतने बड़े अनुपात में ऋण देने का दबाव डाला?

-अग्रिम एन.डी.टी.वी. चैनल के शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के पूरे प्रकरण पर वित्त मंत्रालय और सेबी क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं?

- ऋण पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में सरकार अर्थव्यवस्था को अनुषंगिक और व्यापक नुकसान से कैसे बचाएगी क्योंकि अडानी ग्रुप का ऋण लगातार बढ़ रहा है?

अडानी ग्रुप ने अप्रैल 2020 से जून 2022 तक जो बड़े लोन लिए, उनमें से एक तो 48 हजार करोड़ रूपयों का था, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी.आई.) ने 40 प्रतिशत अर्थात 18 हजार 770 करोड़ की फण्डिंग की, जबकि शेष 60 प्रतिशत, 29 हजार करोड़ रूपयों की फण्डिंग 14 वैश्विक एवं प्राइवेट बैंकों द्वारा की गई। प्रोफेसर ने कहा कि यह तथ्य भारत के सबसे प्रमुख बैंक को जोखिम में डालता है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में हाइलाइट किया गया है कि जिन करोबारों के लिए लोन दिया गया, उनमें शुरूआत के कुछ वर्षों में लाभ नहीं कमाया जाता, इसलिए उनमें ऋण अनुबंध बढ़ाने की, ऋण दायित्वों की रीफायनैन्सिंग की संभावना है, जिसके लिए उन्हें फिर से बैंकों की शरण में आना होगा। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ऋण फण्डिंग की अति महत्वकांक्षी विकास योजनाएं अन्ततः ऋणों के एक महाजाल में फंसा सकती हैं।

क्रेडिट साइट्स दो टूक कहती हैं कि "गौतम अडानी के सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के साथ मधुर संबंध हैं तथा वे और प्रधानमंत्री मोदी तब से एक-दूसरे को जानते हैं जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।"

प्रो. गौरव वल्लभ ने याद किया कि, किस तरह श्रीलंका सरकार के सीलोन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक संसदीय पैनल के समक्ष दावा किया था कि, नरेन्द्र मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव डाला था, अडानी ग्रुप को विण्ड प्रौजेक्ट देने के लिए/इसके साथ ही, सन् 2014 में जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई एस.बी.आई. ने अडानी ग्रुप के साथ एक अरब डॉलर को फैसिलिटी के लिए सिद्धान्तः अनुबंध किया तथा फण्डिंग मुहैय्या करवाने के लिए विश्व के कई बैंकों को साथ लिया। निरन्तर विरोध के बाद, एस.बी.आई. पीछे हट गया। तथा मैमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग को रद्द कर दिया। वर्ष 2020 में यह खबर सामने आई कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अडानी ग्रुप को, ऑस्ट्रेलिया में उसके कार्माइकल कोल प्रोजैक्ट के लिए 5000 करोड़ रूपए का ऋण दिया है। फिर अमुन्डी तथ एक्सा जैसे निवेशकों के दबाव के परिणाम स्वरूप एस.बी.आई. का ऋण अटक गया। पिछले वर्ष के बाद से इस ऋण के स्टेटस के बारे में कोई अपडेट्स नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा, नवीनतम तिकड़म है अडानी ग्रुप द्वारा एक प्रमुख टी.वी. चैनल (एन.डी.टी.वी.) के 29.19 प्रतिशत शेयर चोरी छुपे खरीद लेना। इसके लिए चैनल के संस्थापकों से अनुमति लेना तो दूर चर्चा तक नहीं की गई। अडानी ग्रुप ने 26 प्रतिशत शेयर खरीद की खुली पेशकश की हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908